>

Title: Need to settle insurance claims of farmers under National Agriculture Insurance Scheme in Harda district of Madhya Pradesh.

श्रीमती ज्योति धुर्वे (बेतूल): मेरे संसदीय क्षेत्र के जिला हरदा में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2011 में जिला हरदा के राष्ट्रीयकृत बैंकों की गलती के कारण किसानों को बीमा की राशि प्राप्त नहीं हो सकी है। यहां के किसानों के केडिट कार्ड खातों से कुछ बैंकों के द्वारा बीमा की राशि काट ली गयी एवं बैंकों के द्वारा काटी गयी राशि यह बीमा कंपनी को नहीं भेजी जिसके कारण किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। बैंक द्वारा जो गलती की गयी उसका नुकसान गरीब किसानों को उठाना पड़ा। इस संबंध में स्थानीय विधायकों द्वारा विधान सभा में जानकारी मांगे जाने पर बैंकों के द्वारा गलती की जाना स्वीकार की गयी है। उसके पश्चात् भी किसानों को आज तक उनके खाते में बीमे की राशि नहीं दी गयी है। जिन बैंकों द्वारा उक्त गलती की गयी निम्नानुसार है-

1. भारतीय स्टेट बैंक, शाखा सिराली।

2. बैंक ऑफ इंडिया, शाखा हरदा।

3. भारतीय स्टेट बैंक, शाखा खिरकिया।

4. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शखा खिरकिया।

5. नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा चारूवा (खिरकिया)

6. यूको बैंक, शाखा हरदा।

7. देना बैंक, शाखा हरदा।

अतः उक्त संबंध में आपसे अनुरोध है कि पूरे प्रकरण की जांच करायी जाये और हरदा जिले के किसानों को बीमे की राशि दिलायी जाये तथा दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का कष्ट करें।